तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-3-15	वकील (नायब उप०) सरकारी फैसलकार N.T. उप०) जवाब प्रा० पत्र पेश करने का समय चाहते हैं। किया जाता है। पत्रावली आगामी दिनांक 18/5/15 को पेश हो।
18-5-15	सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय डिगराय अदालत सेवा केन्द्र पर दिनांक 10/7/15 को पेश हो।
10/7/15	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अदालत सेवा केन्द्र डिगराय पेश हुई। वकील (नायब उप०) सरकारी फैसलकार उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं उप०। जवाब प्रा० पत्र पेश किया जा रहा है। जवाब प्रा० पत्र के जरिये किया कि भूमि राजस्व रमते के खसरा नम्बर क्षेत्र के रकबे की जमाबन्दी संवत 2067-70 रकबा सिंचाई के दर्ज है। प्रार्थी राजस्व भूमि पर अतिक्रमी होने से रकबा परिवर्तनशील के कारण दर्ज है। प्रार्थी को बेदखल किया जाता रहा है। प्रस्तुत प्रा० पत्र का शपथ पत्र एवं दावा मेमोरेण्डम का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नकल वकील नायब पढ़कर सुनाई गई। वस्तुतः नायब राजस्व भूमि के विरुद्ध आदेश निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। निदान नायब का प्रा० पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैम्प शुमार होकर नम्बर से कर दी। नकल तकमील जाब्ता दारिखल दफ्तर लेखा/अभाव कर दी।

Scanned by CamScanner